कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 0809041 दिनॉक -

पत्र संख्या-चे0पो0-25-क -परिपत्र -वैट व्यवस्था-रोड़ी गिट्टी -2008-2009// 587 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

(चेक पोस्ट-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक :: 04 जुलाई , 2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(SIB/कार्य/ अपील/उच्च न्या0कार्य/सर्वोच्च न्या0कार्य)वाणिज्यकर, उ0प्र0।

समस्त डिप्टी कमिश्नर(चे0पो0/ प्रवर्तन/ SIB/क0नि0/राज्य प्रतिनिधि/वाणिज्य कर, उ0प्र0।

समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, उ0प्र0।

Key word 1-47-Verification Forms/ Penalty

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 1186 दिनांक 7-7-2005 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा तत्समय प्रचलित व्यापार कर अधिनियम की धारा 8 सी-3ए के अन्तर्गत तालिका । के अनुसार रोड़ी गिट्टी आदि के प्रान्त बाहर से आयात करने पर आयात घोषणा पत्र जारी करने से पूर्व खण्ड कार्यालयों में अग्रिम कर के रूप में नगद धनराशि जमा कराकर आयात घोषणा पत्र जारी करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं :-

तालिका-1

क्र0 सं0	वस्तु का नाम	मात्रा	धनराशि (रु0में)
1	पटिया पत्थर	10 मी0 टन	675
2	बदरपुर	300 घन फुट	780
3	रोडी गिट्टी	300 घन फुट	565
4	मौरंग	300 घन फुट	480
5	बालू / रेता	300 घन फुट	390
6	खण्डा पत्थर (इमारती पत्थर को छोड़कर)	प्रति 10 मी0 टन	375

उपर्युक्त के अनुसार जो अग्रिम कर की धनराशि जमा कराये जाने के निर्देश तत्समय प्रचलित व्यापार कर अधिनियम के अनुसार निर्धारित कर की दरों के अनुरूप प्रसारित किये गये हैं ।

दिनांक 1-1-2008 से प्रदेश में व्यापार कर अधिनियम के स्थान पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम प्रभावी किया गया है । इस अधिनियम के अन्तर्गत कर की दरों में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप विभिन्न व्यापारी संघों द्वारा यह मांग की गयी है कि पूर्व में निर्धारित की गयी धनराशि वर्तमान में निर्धारित कर की दरों के अनुरूप नहीं है, अतः इस धनराशि में संशोधन किया जाये । इस सम्बन्ध में परिक्षेत्रों से प्राप्त मूल्यों की सूचना एवं इन वस्तुओं में हुयी मूल्य वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत उपर्युक्त वस्तुओं के आयात घोषणा पत्र (फार्म 38) जारी करने से पूर्व निम्न तालिका 2 में वर्णित धनराशि अग्रिम कर के रूप में जमा कराकर आयात घोषणा पत्र जारी किये जायेंगे :-

तालिका-2

क्र0 सं0	वस्तु का नाम	मात्रा	धनराशि (रु0में)
1	पटिया पत्थर	10 मी0 टन	425
2	बदरपुर	300 घन फुट	490
3	रोडी / गिट्टी	300 घन फुट	355
4	मौरंग	300 घन फुट	300
5	बालू / रेता	300 घन फुट	235
6	खण्डा पत्थर (इमारती पत्थर को छोड़कर)	प्रति 10 मी0 टन	235

जांच चौकियों पर अपंजीकृत व्यापारियों / व्यक्तियों द्वारा बिना प्रपत्रों के उपर्युक्त वस्तुओं के लाये जाने पर स्वतः घोषणा किये जाने पर तालिका 2 में अंकित धनराशि अथवा देय कर की धनराशि (वस्तुओं के अनुसार) जो भी अधिक हो, जमानत / अर्थदण्ड के रूप में वसूल की जायेगी । स्वतः घोषणा से अधिक मात्रा में माल पाये जाने पर उक्त प्राविधान लागू नहीं होगें एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम 2008 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

पंजीकृत व्यापारियों द्वारा आयात पत्र जारी करते समय विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी मात्रा से अधिक माल का आयात किया जाना पाये जाने पर मुख्यालय के परिपत्र संख्या चे0पो0-25-क-परिपत्र-वैट व्यवस्था /2008/2265/वाणिज्य कर दिनांक 22-01-2008 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत विधि अनुभाग के परिपत्र संख्या विधि-1(1)-जमानत धारा 8-सी-(3ए)-(2004-05)-218 दिनांक 02-05-05 के अनुसार यदि इन वस्तुओं का आयात करने वाले व्यापारियों द्वारा आयात घोषणा पत्र जारी करने के समय अग्रिम रूप से जमा की गयी धनराशि स्वीकृत कर से अधिक होती है तो, अगली बार आयात घोषणा पत्र जारी करने से पूर्व अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आयात घोषणा जारी करने से पूर्व किया जा सकता है। किन्तु ऐसे प्रकरणों में यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार की राजस्व क्षति न हो। उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल कठोरता के साथ सुनिश्चित किया / कराया जाए।

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनांक उक्त।

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष / निबन्धन उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर , लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर उ0प्र0।
4. अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
5. प्रबन्धक , इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, ले शक / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
6. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
7. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान , खनऊ।
8. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिसआफ दए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
10. विकास आयुक्त,नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा।
11. मैअनुल / सूचना केन्द्र/ नई इकाई / वैट अनुभाग / चेकपोस्ट मुख्यालय को क्रमशः 5/5/5/10/50 प्रतियाँ अतिरिक्त।
12. समस्त अनुभाग / अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
13. अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185 / 293, अमीनाबाद रोड,गणेश गंज, लखनऊ।
14. अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु,सी-15, मालएवेन्यू, लखनऊ।
15. श्री श्याम बिहारी मिश्र,उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल,87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे, कानपुर।
16. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
17. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय वाणिज्य कर सलाहकार समिति 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ।
18. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 , सिविल लाइन्स, कानपुर।
19. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एंड इण्ड0 4/180, विशाल खण्ड, पी0वी0-17,गोमती नगर, लखनऊ
20. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड,लखनऊ।
21. अवध चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंड0,ऐशबाग, रोड, लखनऊ।
22. आल इडिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4 , साइट सं0-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया,गाजियाबाद।
23. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इंड0एसोसिएशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
24. राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से
25. उत्तर -प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
26. शिव कुमार रोडा,एडवोकेट, महासचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0जमुना बिहार, एस0 एस0 कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर
27. श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस, आर0-15/5 राजनगर , गाजियाबाद।
28. श्रीमती इन्दु मिश्रा ,इन्दु पब्लिकेशनस , RDC-51 राजनगर , गाजियाबाद।
29. श्री मदनमोहन भारतीय , एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणउ0प्र0शासन , 26/103, बिरहाना रोड,कानपुर।
30. प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
31. प्रो0श्रीमती रंजना कक्कड, 15,टैगोर टाउन, इलाहाबाद।

33. श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुँज गली, चौक, वाराणसी ।
34. श्री उमंग अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी (FTTA) 77/3 ए एन0के0जैन मार्केट, कुली बाजार, कानपुर ।
35. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, म0नगर ।
36. श्री पी0 एस0 जैन, 138-ए, ब्लाक-ए, सेक्टर-27, नोएडा ।
37. श्री ब्रित चावला, महासचिव(पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेंडरेशन (रजि0), पुलदाल मंडी , सहारनपुर ।
38. श्री आर0 डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
39. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश , 19-सुरेशबाग, कानपुर ।
40. इन्डियन इंड0एसो0 , 159/ए-8,15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
41. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एंड वेलफेयर फोरस एसो0 वेस्टर्न यू0पी0(रजि0) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ ।
42. टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशयल टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस , आगरा ।
43. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 50-बी,उद्योग नगर, कानपुर ।
44. श्री अनिल कुमार बंसल, दि0 यू0पी0 रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0-3 एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
45. श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पटटी, कानपुर ।
46. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेट व्यापार एसो0 565/566,राजेन्द्र नगर ,लखनऊ ।
47. श्री अरुण कुमारअवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीयउद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ
48. माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहाकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
49. श्री गोपाल अग्रवाल , राष्ट्रीय महामंत्री आल इंडियाउद्योग व्यापाारप्रतिनिधि मंडल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड,मेरठ ।
50. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड,अमीनाबाद, लखनऊ ।
51. अध्यक्ष, आई0आई0ए0 इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खंड,फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ 226010 फोननं0 2720097 ।
52. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।
53. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष , अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) मंडल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस ।

(जगमोहन लाल शर्मा)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (चे0पो0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।